

पत्रांक-4 / STA.-P3-906 / 2013

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री राजेश शर्मा,  
पिता- श्री वेचन सिंह,  
पता-ग्राम+पो0- भवनपुर ,  
थाना-टिकारी,  
जिला-गया , पिन-824236 ।

पटना,दिनांक

विषय: हाजीपुर से टेकारी अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर श्री राजेश शर्मा के वाहन सं0-BR-02T-5961 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-140/2013 को रद्द करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक दिनांक-28.09.2016 को आपसे प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में अवगत कराना है कि आपके वाहन सं0- BR-02T-5961 के पक्ष में हाजीपुर से टेकारी अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग पर STA,बिहार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट सं0-140/2013 (वैधता-25.12.2018 तक) को पूर्व में "दिनांक-03.02.2015 को राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा लिये गये निर्णय" के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 86(1) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश सं0-4448, दिनांक-07.09.2015 द्वारा रद्द कर दिया गया है ।

अतः दिनांक-28.09.2016 को उपर्युक्त परमिट के प्रत्यर्पण हेतु आपसे प्राप्त आवेदन पत्र अविचारणीय है ।

सूचनार्थ ।

अनु0:- कार्यालय आदेश सं0-4448, दिनांक-07.09.2015  
की छायाप्रति संलग्न ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

पटना,दिनांक

18/11/16

ज्ञापांक

E-mail

प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी, गया /जहानाबाद/पटना/वेशाली एवं कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव 18/11/16

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।